NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 24-02-2026

विषय सूची

गृह मंत्रालय द्वारा भारत की प्रथम राष्ट्रीय आतंकवाद-निरोधक नीति 'प्रहार(PRAHAAR)' का अनावरण

भारत की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में सदस्यता प्राप्त करने की आकांक्षा

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित चिंताएँ

नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन (NMP) 2.0

भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग क्षमता का उद्घाटन

भारत का ग्रीन अमोनिया मार्ग के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण

संक्षिप्त समाचार

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

ALARA दर्शन

'राह-वीर' योजना

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उपलब्धि

भारतीय वायुसेना का तेजस बेड़ा रखरखाव जाँच में

BAFTA – ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स

पैंगोलिन

गृह मंत्रालय द्वारा भारत की प्रथम राष्ट्रीय आतंकवाद-निरोधक नीति 'प्रहार(PRAHAAR)' का अनावरण

संदर्भ

- गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-निरोधक नीति और रणनीति 'प्रहार' का अनावरण किया।

परिचय

- यह वही सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो भारत की 'आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता' नीति को दिशा देता है।
- भारत की आतंकवाद-निरोधक रणनीति 'प्रहार' इन आदर्शों से प्रवाहित होती है:
  - भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा हेतु आतंकवादी हमलों की रोकथाम।
  - खतरों के अनुरूप त्वरित और संतुलित प्रतिक्रिया।
  - संपूर्ण शासन दृष्टिकोण में तालमेल हेतु आंतरिक क्षमताओं का समेकन।
  - मानवाधिकार और 'कानून के शासन' आधारित प्रक्रियाओं द्वारा खतरों का शमन।
  - आतंकवाद को सक्षम बनाने वाली परिस्थितियों, जिसमें उग्रवाद भी शामिल है, का शमन।
  - आतंकवाद-निरोधक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का संरेखण और आकार देना।
  - संपूर्ण समाज दृष्टिकोण द्वारा पुनर्प्राप्ति और लचीलापन।

ऐसी नीति की आवश्यकता

- **आतंकी समूहों का लक्ष्य:** भारत, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों का लक्ष्य रहा है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** सीमा पार से संचालक नवीनतम तकनीकों, जैसे ड्रोन, का प्रयोग पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों एवं हमलों को सुगम बनाने हेतु करते हैं।
- **सोशल मीडिया का उपयोग:** प्रचार, संचार, वित्तपोषण और हमलों के मार्गदर्शन हेतु ये समूह सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और 'इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन' का प्रयोग करते हैं।
- **तकनीकी प्रगति:** एन्क्रिप्शन, डार्क वेब, क्रिप्टो वॉलेट जैसी तकनीकों ने इन्हें गुमनाम रूप से संचालित होने की सुविधा दी है।
- **CBRNED तक पहुँच का खतरा:** रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु, विस्फोटक और डिजिटल सामग्री तक आतंकियों की पहुँच रोकना आतंकवाद-निरोधक एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है।

नीति की प्रमुख विशेषताएँ

- **रोकथाम:** भारत सक्रिय 'खुफिया-निर्देशित' दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसे कार्यकारी एजेंसियों तक पहुँचाना प्राथमिकता है।
  - मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में संयुक्त खुफिया कार्यबल (JTFI) वास्तविक समय में कुशल साझाकरण हेतु प्रमुख मंच हैं।
- **प्रतिक्रिया:** किसी भी हमले पर स्थानीय पुलिस प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता होती है, जिसे राज्य और केंद्रीय विशेष आतंकवाद-निरोधक बलों का सहयोग मिलता है।
  - संवेदनशील राज्यों ने विशेष CT बल गठित किए हैं।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आतंकवाद-निरोधक बल है, जो बड़े हमलों में राज्य बलों की सहायता करता है।
  - राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और राज्य पुलिस एजेंसियाँ आतंकवाद-निरोधक जांच करती हैं, जिनकी उच्च अभियोजन दर भविष्य के हमलों को रोकने में सहायक है।
- **क्षमताओं का समेकन:** CT एजेंसियों के लिए नवीनतम उपकरण, तकनीक और हथियारों का अधिग्रहण, साथ ही नए कौशल एवं रणनीतियों का प्रशिक्षण नियमित रूप से किया जाता है।
- **मानवाधिकार और कानून आधारित प्रक्रियाएँ:** भारत 'कानून के शासन' का पालन करता है, जहाँ कानून

न्यायसंगत, समान रूप से लागू और मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।

- भारत 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संधि का अनुमोदन कर चुका है।

- **आतंकवाद हेतु अनुकूल परिस्थितियों का शमन:** आतंकी समूह भारतीय युवाओं को भर्ती करने का प्रयास करते रहते हैं।
  - पहचाने जाने पर इन युवाओं पर क्रमबद्ध पुलिस प्रतिक्रिया होती है, जिसका उद्देश्य उग्रवाद और हिंसक अतिवाद की समस्या का व्यापक समाधान है।
  - उग्रवाद के स्तर के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का संरेखण:** भारत ने विभिन्न समझौतों जैसे पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT), प्रत्यर्पण संधि/व्यवस्था (ET/EA), संयुक्त कार्य समूह (JWG) और समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **पुनर्प्राप्ति और लचीलापन:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी ने आतंकवादी हमलों के बाद तीव्र पुनर्प्राप्ति और लचीलेपन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - सरकार डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, वकीलों और अन्य नागरिक समाज के सदस्यों, जिनमें NGO, धार्मिक एवं सामुदायिक नेता शामिल हैं, को प्रभावित समुदाय को संवेदनशील बनाने तथा पुनः एकीकृत करने हेतु संलग्न करती है।

आगे की राह

- समन्वित बहु-एजेंसी कार्रवाइयों ने भारत की आतंकवाद-निरोधक प्रयासों में बड़ी सफलता दिलाई है।
  - फिर भी, विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया संग्रह और जांच में एवं सहयोग की संभावना बनी हुई है।
- राष्ट्रीय कार्रवाइयाँ, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग के साथ मिलकर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौतियों का समाधान करने के प्रमुख तत्व हैं।
- 'प्रहार' का उद्देश्य सभी आतंकी कृत्यों को अपराध घोषित करना और आतंकियों, उनके वित्तपोषकों एवं समर्थकों को धन, हथियार एवं सुरक्षित ठिकानों तक पहुँच से वंचित करना है।

स्रोत: TH

भारत की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में सदस्यता प्राप्त करने की आकांक्षा

संदर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने भारत के संगठन की पूर्ण सदस्यता हेतु किए गए अनुरोध पर हो रही प्रगति का स्वागत किया।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- **स्थापना:** 1974 में।
- **संस्थापक सदस्य:** ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- **कारण:** इसे उस समय स्थापित किया गया जब प्रमुख तेल-निर्यातक देशों ने तेल आपूर्ति में भारी कटौती की, जिससे औद्योगिक देशों में गंभीर आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुआ।
- **अधिदेश:** IEA का मूल उद्देश्य तेल आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना और भविष्य में संभावित व्यवधानों का पूर्वानुमान लगाकर समय पर रोकथाम करना था।
  - इसने तेल आपात स्थितियों से निपटने हेतु विस्तृत तंत्र विकसित किया और प्रत्येक सदस्य देश के लिए न्यूनतम रणनीतिक तेल भंडार बनाए रखना अनिवार्य किया।
- **सदस्यता:** प्रारंभ में सदस्यता केवल OECD देशों तक सीमित थी।
  - वर्तमान में 33 पूर्ण सदस्य हैं, जिनमें हाल ही में कोलंबिया 33वाँ सदस्य बना है।
- **सहयोगी सदस्य:** 2015 में IEA ने गैर-OECD देशों को सहयोगी सदस्य बनने का अवसर दिया।

- सहयोगी सदस्य नीति चर्चाओं और गतिविधियों में भाग लेते हैं, परंतु निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखते।
- भारत 2017 में सहयोगी सदस्य बना। वर्तमान में 13 सहयोगी सदस्य हैं।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)

- OECD एक अंतर-सरकारी संगठन है जो आर्थिक विकास, नीति समन्वय और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **उद्देश्य:** "बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियाँ।"
- **स्थापना:** 1961 में, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन (OEEC) के उत्तराधिकारी के रूप में।
- **मुख्यालय:** पेरिस, फ्रांस।
- **सदस्यता:** 38 सदस्य देश (मुख्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाएँ)। भारत इसका सदस्य नहीं है।

IEA की भूमिका में परिवर्तन

- **तेल सुरक्षा से परे विस्तार:** अब यह केवल तेल आपूर्ति सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि गैस, कोयला, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा को भी शामिल करता है।
- **जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण:** डीकार्बोनाइजेशन, नेट-ज़ीरो मार्ग और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण इसके केंद्रीय उद्देश्य बन गए हैं।
- **महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान:** IEA ने नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत गतिशीलता से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों को संबोधित करने हेतु 'क्रिटिकल मिनरल्स प्रोग्राम' शुरू किया है।
- **उभरती अर्थव्यवस्थाओं का उदय:** वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे उभरते देशों की भूमिका प्रमुख हो गई है।
- **व्यापक वैश्विक प्रतिनिधित्व:** पहले IEA सदस्य वैश्विक ऊर्जा मांग का 60% से अधिक हिस्सा रखते थे, जो घटकर लगभग 40% रह गया। सहयोगी सदस्यों के जुड़ने से अब IEA लगभग 80% वैश्विक ऊर्जा मांग का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत की सदस्यता की आकांक्षा

- **पूर्ण सदस्यता का प्रयास:** भारत ने 2023 में IEA की पूर्ण सदस्यता हेतु औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया और हाल के वर्षों में इस उद्देश्य को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है।
- **निर्णय-निर्माण भूमिका की इच्छा:** भारत का मुख्य उद्देश्य IEA की निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में भाग लेना है, क्योंकि यह एजेंसी वैश्विक ऊर्जा नीतियों, ऊर्जा संक्रमण मार्गों और जलवायु-संबंधी रणनीतियों को आकार देने में अत्यधिक प्रभावशाली हो गई है।
- **ज्ञान और नीति मंच के रूप में IEA:** IEA स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन पर एक प्रमुख वैश्विक ज्ञान मंच बन चुका है और यह सबसे विश्वसनीय एवं व्यापक वैश्विक ऊर्जा डेटाबेस बनाए रखता है।

आगे की राह

- भारत को पूर्ण सदस्यता प्रदान करने के लिए IEA के संस्थापक ढाँचे में संशोधन आवश्यक होगा, क्योंकि अब तक सदस्यता केवल OECD देशों तक सीमित रही है।
- भारत ने OECD सदस्यता लेने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है, जिससे पात्रता मानदंडों में बदलाव या कानूनी संशोधन आवश्यक होगा।
- IEA ने भारत के प्रयास का दृढ़ समर्थन किया है, इसे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश और भविष्य में वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि का प्रमुख चालक मानते हुए।
- हाल के वर्षों में IEA की भारत के साथ सहभागिता उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है और भारत-केंद्रित रिपोर्टों के माध्यम से यह अधिक गंभीर हुई है।

स्रोत: IE

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित चिंताएँ

संदर्भ

- हाल ही में मतदाता सूची, नियुक्ति प्रक्रियाओं और संस्थागत स्वायत्तता से संबंधित विवादों ने भारत

निर्वाचन आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली को लेकर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

निर्वाचन आयोग से संबंधित चिंताएँ

- **मतदाता सूची में हेरफेर:** मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चिंताएँ उठी हैं।
  - विशेष क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की रिपोर्टों ने मताधिकार से वंचित होने की आशंका को उत्पन्न किया है।
- **नियुक्ति प्रक्रिया पर विवाद:** *मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, पद की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023* ने चयन तंत्र में बदलाव किया।
  - यह तर्क दिया गया है कि चयन समिति से न्यायपालिका को बाहर करने से कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ सकता है। यह मुद्दा न्यायालय में चुनौती के रूप में है और संवैधानिक परिचर्चा का विषय बना हुआ है।

संविधान का अनुच्छेद 324

- अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त (ECs) होंगे, जितने राष्ट्रपति तय करेंगे।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची तैयार करने और संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है।
- संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति, संसद के अधिनियम के अनुसार, CEC और ECs की नियुक्ति करेंगे।

CEC और ECs नियुक्ति अधिनियम, 2023 की प्रमुख विशेषताएँ

- यह अधिनियम *निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991* को प्रतिस्थापित करता है।
- **निर्वाचन आयोग:** आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्त (ECs) होंगे। राष्ट्रपति समय-समय पर ECs की संख्या तय करेंगे।
- **नियुक्ति:** आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।
  - चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) शामिल होंगे।
  - कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली खोज समिति पाँच नाम सुझाएगी।
  - चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है।
- **कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति:** आयोग के सदस्य छह वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, पद पर रहेंगे।
  - आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते।
  - यदि किसी EC को CEC नियुक्त किया जाता है, तो कुल कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- **वेतन और पेंशन:** CEC और ECs का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें कैबिनेट सचिव के समकक्ष होंगी।
- **पदमुक्ति:** CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है।
  - ECs को केवल CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

न्यायिक हस्तक्षेप

- **इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं।
- **टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995):** आयोग की बहु-सदस्यीय प्रकृति को मान्यता दी और स्पष्ट किया कि CEC "समानों में प्रथम" है, पूर्ण अधिकार नहीं रखता।
- **विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997):** स्वतंत्र संस्थाओं के निष्कासन और कार्यप्रणाली से संबंधित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को स्पष्ट किया।
- **अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023):** संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की सिफारिश की।

चुनाव सुधारों पर प्रमुख समितियाँ

- **दिनेश गोस्वामी समिति (1990):** बूथ कैप्चरिंग रोकने हेतु कठोर कदम सुझाए, जिनमें केंद्रीय बलों की तैनाती और पुनः मतदान की व्यवस्था शामिल थी।
- **इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998):** चुनावों में धनबल की बढ़ती भूमिका की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्तपोषण आवश्यक है।
  - समिति ने सुझाव दिया कि यह वित्तपोषण नकद में नहीं बल्कि वस्तु के रूप में दिया जाए ताकि दुरुपयोग रोका जा सके।
  - केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को ही इस सहायता का पात्र माना जाए।
- **भारत का विधि आयोग:** आयोग ने अनुशंसा की कि उम्मीदवारों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
  - रिपोर्ट ने राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता और दलबदल व गठबंधन राजनीति में अस्थिरता कम करने हेतु सुधारों पर बल दिया।

आगे की राह

- निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि आयोग की निष्पक्षता पर जनविश्वास बढ़े।
- राजनीतिक वित्तपोषण में सुधार, विशेषकर दान की अधिक पारदर्शिता, आवश्यक है ताकि धन का अनुचित प्रभाव कम हो।
- चुनाव प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार, जिसमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाएँ शामिल हों, दक्षता और विश्वास को बढ़ा सकते हैं।
  - तकनीकी अपनाने के साथ स्वतंत्र ऑडिट और सत्यापन तंत्र भी होना चाहिए ताकि जनचिंताओं का समाधान हो सके।

स्रोत: TH

नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन (NMP) 2.0

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने *नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन (NMP) 2.0* का शुभारंभ किया है, जिसका लक्ष्य 2025–26 से 2029–30 की अवधि में परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से ₹16.72 लाख करोड़ एकत्रित करना है।

परिचय

- केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया *नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन (NMP) 2.0*, मूल एनएमपी (2021-2025) पर आधारित है और 2026-2030 के लिए ₹16.72 लाख करोड़ का रोडमैप प्रस्तुत करता है।
- यह राजमार्गों और रेलमार्गों जैसी परिचालनात्मक "ब्राउनफील्ड" सार्वजनिक परिसंपत्तियों को निजी निवेश के माध्यम से मूल्य खोलने का लक्ष्य रखता है, ताकि नए ग्रीनफील्ड बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण बिना नया ऋण या कर बढ़ाए किया जा सके।
- यह नीति *नीति आयोग* द्वारा संबंधित मंत्रालयों के साथ विकसित की गई है, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्देशित है और *कैबिनेट सचिव* की अध्यक्षता वाले *कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन एसेट मॉनेटाइजेशन (CGAM)* द्वारा निगरानी की जाती है।

प्रमुख उद्देश्य

- वर्तमान परिसंपत्तियों का पुनर्चक्रण कर ₹5.8 लाख करोड़ निजी पूंजीगत व्यय हेतु एकत्रित करना।
- पीपीपी, इन्विट्स (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स), नकदी प्रवाह प्रतिभूतिकरण और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना।
- एनएमपी 1.0 से प्राप्त अनुभवों के आधार पर प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना, समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और आय को भारत की समेकित निधि, सार्वजनिक उपक्रमों या राज्यों में प्रवाहित करना।

प्रमुख क्षेत्रीय आवंटन

- **राजमार्ग, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs), रोपवे:** ₹4.42 लाख करोड़
- **विद्युत:** ₹2.77 लाख करोड़
- **बंदरगाह:** ₹2.64 लाख करोड़
- **रेलमार्ग:** ₹2.62 लाख करोड़
- **कोयला:** ₹2.16 लाख करोड़
- **खनन:** ₹1 लाख करोड़
- **पूंजी पुनर्चक्रण मॉडल:** मोनेटाइज़ेशन 'एसेट रीसाइक्लिंग' के सिद्धांत का पालन करता है:
  - परिचालनात्मक ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण।
  - प्राप्त आय का उपयोग ग्रीनफील्ड बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण में।
  - इससे राजकोषीय भार और सार्वजनिक ऋण का दबाव कम होता है।
- **राजस्व वितरण:** प्राप्त आय मुख्यतः भारत की समेकित निधि, प्रत्यक्ष निजी निवेश, सार्वजनिक उपक्रम/बंदरगाह प्राधिकरण आवंटन और राज्य समेकित निधियों में प्रवाहित होने की अपेक्षा है।

एनएमपी 2.0 के लाभ

- **पूंजी पुनर्चक्रण:** ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों से मूल्य खोलकर नई (ग्रीनफील्ड) परियोजनाओं में पुनर्निवेश, बिना सार्वजनिक ऋण बढ़ाए।
- **राजकोषीय समेकन:** सरकारी उधारी पर दबाव कम करता है और राजकोषीय घाटे के बेहतर प्रबंधन में सहायक है।
- **निजी भागीदारी में वृद्धि:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को गंभीर करता है, दक्षता, नवाचार और जोखिम-साझाकरण को बढ़ावा देता है।
- **दीर्घकालिक संस्थागत पूंजी का आकर्षण:** पेंशन फंड, सार्वभौमिक निधि और वैश्विक निवेशकों को भारतीय बुनियादी ढाँचे में आकर्षित करता है।
- **परिसंपत्ति दक्षता में सुधार:** निजी प्रबंधन परिचालन दक्षता और सेवा गुणवत्ता को बढ़ाता है।
- **वित्तीय बाजारों का विकास:** इन्विट्स और TOT मॉडल जैसे साधनों को बढ़ावा देता है, जिससे बुनियादी ढाँचा एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में विस्तृत होता है।
- **लॉजिस्टिक्स और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलमार्गों और लॉजिस्टिक्स पार्कों का मुद्रीकरण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करता है और लेन-देन लागत को कम करता है।
- **विकसित भारत दृष्टि का समर्थन:** बुनियादी ढाँचा-आधारित विकास को तीव्र करता है, जो 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
- **रोज़गार सृजन और गुणक प्रभाव:** बुनियादी ढाँचे का विस्तार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करता है।
- **नागरिक भागीदारी:** सार्वजनिक इन्विट्स खुदरा निवेशकों को बुनियादी ढाँचे की वृद्धि में भाग लेने का अवसर देते हैं।

एनएमपी 2.0 की चुनौतियाँ

- **परिसंपत्ति मूल्यांकन संबंधी चिंताएँ:** सार्वजनिक परिसंपत्तियों के अवमूल्यन का जोखिम।
  - पारदर्शी और मानकीकृत मूल्यांकन तंत्र का अभाव।
- **राजनीतिक एवं जन विरोध:** 'गुप्त निजीकरण' की धारणा।
  - ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज से प्रतिरोध।
- **नियामक एवं नीतिगत अनिश्चितता:** बार-बार नीति परिवर्तन दीर्घकालिक निवेशकों को हतोत्साहित कर सकते हैं।
  - पीपीपी अनुबंधों में सुदृढ़ विवाद समाधान तंत्र की आवश्यकता।
- **जोखिम आवंटन मुद्दे:** सरकार और निजी क्षेत्र के बीच अनुचित जोखिम-साझाकरण।
  - पूर्ववर्ती पीपीपी विफलताएँ (जैसे राजमार्गों में यातायात का अधिक अनुमान) चेतावनी स्वरूप बनी हुई हैं।

स्रोत: IE

भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग क्षमता का उद्घाटन

संदर्भ

- हाल ही में *अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC)* की तीसरी बैठक कोच्चि, केरल में आयोजित की गई।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की वर्तमान स्थिति

- भारत के पास 20,236 किमी का विस्तृत अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क है, जिसमें 17,980 किमी नदियाँ और 2,256 किमी नहरें शामिल हैं, जो यांत्रिक नौकाओं के लिए उपयुक्त हैं।
- वर्तमान में भारत के पास *राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016* के अंतर्गत घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्ग (NWs) हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिवहन किया गया माल 2013-14 में 18.07 मिलियन मीट्रिक टन (MT) से बढ़कर 2024–25 में 145.5 मिलियन MT हो गया है—700% से अधिक की वृद्धि।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक जलमार्गों के माध्यम से 200 मिलियन MT और 2047 तक 500 मिलियन MT माल परिवहन करना है।

अंतर्देशीय जलमार्गों का महत्व

- **लॉजिस्टिक्स लागत में कमी:** भारत में लॉजिस्टिक्स लागत GDP का 14% है, जो वैश्विक औसत 8-10% से कहीं अधिक है।
- **भीड़भाड़ कम करना:** अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने से भीड़भाड़ कम होगी और परिवहन नेटवर्क पर दबाव घटेगा।
- **पर्यावरण-अनुकूल परिवहन:** ईंधन खपत और उत्सर्जन में कमी भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों के अनुरूप है।
- **आर्थिक लाभ:** अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन बढ़ने से व्यापार और वाणिज्य को विशेषकर राष्ट्रीय जलमार्गों से जुड़े क्षेत्रों में प्रोत्साहन मिलेगा।

अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने में चुनौतियाँ

- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** आधुनिक टर्मिनल, घाट और नौवहन उपकरणों की सीमित उपलब्धता निर्बाध माल परिवहन में बाधा डालती है।
- **गहराई और नौवहन समस्याएँ:** कई नदी खंड मौसमी उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी नौवहन क्षमता प्रभावित होती है।
- **सड़क और रेल से प्रतिस्पर्धा:** प्रोत्साहनों के बावजूद सड़क और रेल परिवहन का प्रभुत्व जलमार्गों की ओर बदलाव को सीमित करता है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** अंतर्देशीय जलमार्गों का बुनियादी ढाँचा कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है, जबकि अन्य क्षेत्र पिछड़े हुए हैं।

सरकारी पहल

- **जलवाहक योजना:** यह योजना 300 किमी से अधिक दूरी पर अंतर्देशीय जलमार्गों से माल परिवहन करने वाले माल मालिकों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देती है।
  - माल परिवहन के दौरान हुए कुल परिचालन व्यय का 35% तक प्रतिपूर्ति की जाती है।
- **जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP):** आधुनिक बुनियादी ढाँचे और टर्मिनलों के साथ NW-1 का विकास।
- **सागरमाला परियोजना:** अंतर्देशीय जलमार्गों का तटीय शिपिंग और बंदरगाहों के साथ एकीकरण।
- **फ्रेट विलेज विकास:** प्रमुख जलमार्गों के निकट लॉजिस्टिक हब स्थापित करना ताकि बहु-मोडल परिवहन को बढ़ावा मिले।

अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)

- IWAI एक स्वायत्त संगठन है, जिसे 1986 में *अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985* के अंतर्गत गठित किया गया।
- IWAI मुख्यतः उन जलमार्गों के विकास, रखरखाव और विनियमन के लिए उत्तरदायी है जिन्हें *राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016* के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
- IWAI का मुख्यालय नोएडा में स्थित है।

अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद

- अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की स्थापना भारत सरकार ने 2023 में की।
- **उद्देश्य:** अंतर्देशीय जलमार्गों और संबंधित *अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT)* पारिस्थितिकी तंत्र का व्यापक विकास करना, ताकि माल परिवहन दक्षता, यात्री आवागमन और नदी क्रूज़ पर्यटन में सुधार हो सके, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ।

स्रोत: BL

भारत का ग्रीन अमोनिया मार्ग के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण

समाचार में

- भारत का ऊर्जा संक्रमण तेजी से *ग्रीन हाइड्रोजन* और उसके व्युत्पन्नों पर केंद्रित हो रहा है, जिसमें *ग्रीन अमोनिया* एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में उभर रहा है।

ग्रीन अमोनिया

- यह ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके उत्पादित की जाती है और उर्वरकों, ऊर्जा तथा समुद्री अनुप्रयोगों के लिए एक प्रमुख स्वच्छ ईंधन के रूप में उभर रही है।
- वैश्विक स्तर पर, यूरोपीय संघ की *H2Global पहल* और दक्षिण कोरिया की *क्लीन हाइड्रोजन पोर्टफोलियो* स्टैंडर्ड जैसी खरीद तंत्र बाजार विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।
- भारत की ग्रीन अमोनिया नीलामी, *राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन* के अंतर्गत *SECI* के *SIGHT कार्यक्रम* के अंतर्गत, अपने पैमाने और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए विशिष्ट है।

ग्रीन अमोनिया के लाभ

- **उर्वरकों का डीकार्बोनाइजेशन:** भारत का उर्वरक क्षेत्र, जो आयातित अमोनिया पर अत्यधिक निर्भर है, ग्रीन अमोनिया अपनाकर उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती कर सकता है।
- **ऊर्जा भंडारण और परिवहन:** अमोनिया को हाइड्रोजन की तुलना में संग्रहीत और परिवहन करना आसान है, जिससे यह एक व्यावहारिक ऊर्जा वाहक बनता है।
- **निर्यात क्षमता:** भारत ग्रीन अमोनिया निर्यात का केंद्र बन सकता है, विशेषकर उन देशों के लिए जो स्वच्छ ईंधन की खोज में हैं।
- **औद्योगिक अनुप्रयोग:** ग्रीन अमोनिया का उपयोग शिपिंग, विद्युत उत्पादन और रासायनिक उद्योगों में किया जा सकता है।
- **रणनीतिक स्वतंत्रता:** जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम होती है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होती है।

चुनौतियाँ

- **उच्च लागत:** वर्तमान में ग्रीन अमोनिया का उत्पादन पारंपरिक अमोनिया की तुलना में अधिक महंगा है।
- **प्रौद्योगिकी तत्परता:** बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोलाइज़र और अमोनिया संश्लेषण तकनीकों को विकास की आवश्यकता है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** ग्रीन अमोनिया के भंडारण, परिवहन और वितरण नेटवर्क अभी सीमित हैं।
- **कोयले पर निर्भरता:** भारत का विद्युत क्षेत्र अभी भी कोयले पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे संक्रमण जटिल होता है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** अन्य देश भी भारी निवेश कर रहे हैं, जिससे भारत को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए तेजी से विस्तार करना होगा।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- *ग्रीन हाइड्रोजन संक्रमण हेतु रणनीतिक हस्तक्षेप (SIGHT) कार्यक्रम* में ₹17,490 करोड़ का प्रावधान है, जो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देता है।
  - यह घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण को समर्थन देता है।
  - यह ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को भी समर्थन देता है।
- *राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन* औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन हेतु अमोनिया को एक प्रमुख व्युत्पन्न के रूप में महत्व देता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारत निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आकर्षित करने हेतु वैश्विक साझेदारों के साथ जुड़ रहा है।

- **पायलट परियोजनाएँ:** उर्वरक संयंत्रों और शिपिंग में ग्रीन अमोनिया को एकीकृत करने हेतु पहलें परीक्षणाधीन हैं।
- **कार्बन तटस्थता लक्ष्य:** भारत का 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का घोषित लक्ष्य ग्रीन अमोनिया को उसकी ऊर्जा रूपरेखा के केंद्र में रखता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत की ग्रीन अमोनिया रणनीति उसके ऊर्जा संक्रमण को समर्थन देती है, उर्वरक उत्सर्जन कम करती है, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करती है और निर्यात अवसर सृजित करती है।
- भारत की ग्रीन अमोनिया सफलता कम नवीकरणीय ऊर्जा लागत, प्रभावी अनुबंध संरचनाओं, सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स और लक्षित प्रोत्साहनों से प्रेरित है।
- प्रगति बनाए रखने के लिए स्थिर विनियम, एकीकृत नवीकरणीय प्रणालियाँ, मिश्रित वित्त, जोखिम सुरक्षा उपाय और सुदृढ़ सुरक्षा एवं प्रमाणन ढाँचे आवश्यक हैं।
- सतत समन्वय के साथ भारत स्वच्छ अमोनिया में वैश्विक नेता के रूप में उभर सकता है।
- *इंडिया एनर्जी वीक 2026* में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा में $500 बिलियन के निवेश अवसरों को रेखांकित किया, जिससे भारत को ग्रीन अमोनिया परिदृश्य में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया जा सके।

स्रोत :TH

संक्षिप्त समाचार

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

संदर्भ

- भारत के राष्ट्रपति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति भवन में किया।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में

- **प्रारंभिक जीवन:** चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से *राजाजी* कहा जाता है, का जन्म 1878 में थोरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ।
  - 1917 में वे सलेम नगरपालिका के अध्यक्ष बने और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया।
- **भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका:** 1919 में महात्मा गांधी से भेंट ने उनके राजनीतिक जीवन को परिवर्तित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कानूनी करियर छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया।
  - उन्होंने रॉलेट एक्ट विरोध, असहयोग आंदोलन, वैकोम सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और 1912 से 1941 के बीच पाँच बार जेल गए।
- **स्वतंत्रता के बाद:** राजाजी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे (1950 तक)।
  - वे 1952 से 1954 तक संक्षिप्त अवधि के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे।
  - उन्होंने 1959 में *स्वतंत्र पार्टी* की स्थापना की, जो शास्त्रीय उदारवादी आर्थिक विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी।
- **साहित्यिक योगदान:** उनकी प्रमुख रचनाओं में अंग्रेज़ी में *महाभारत* और *रामायण* का पुनर्लेखन तथा तमिल में *रामायण – चक्रवर्ती थिरुमगन* शामिल हैं।
- **सम्मान:** 1954 में उन्हें भारतीय राजनीति और साहित्य में योगदान हेतु *भारत रत्न* से सम्मानित किया गया।

स्रोत: TH

ALARA दर्शन

संदर्भ

- अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अपने निर्देशों और विनियमों से *ALARA दर्शन* को हटा दिया है, जो लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का हिस्सा रहा है।

परिचय

- *रेखीय नो-थ्रेशोल्ड (LNT) मॉडल* और *ALARA सिद्धांत* कई दशकों से वैश्विक विकिरण संरक्षण ढाँचे की वैचारिक और परिचालन नींव रहे हैं।

- **LNT मॉडल:** यह जोखिम अनुमान ढाँचा है, जिसके अनुसार किसी भी मात्रा में आयनीकरण विकिरण, चाहे कितना भी कम हो, हानिकारक हो सकता है, विशेषकर कैंसर का कारण।
  - अर्थात, ऐसा कोई स्तर नहीं है जिसके नीचे विकिरण को पूरी तरह जोखिम-मुक्त माना जाए। जोखिम खुराक के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है।
- **ALARA सिद्धांत:** *"ऐज़ लो ऐज़ रीजनबली अचीवेबल"* का संक्षिप्त रूप, यह विकिरण संरक्षण का परिचालन दर्शन है।
  - यह सुरक्षा को व्यवहार्यता, लागत और सामाजिक आवश्यकता के साथ संतुलित करता है तथा निरंतर सुधार का लक्ष्य रखता है।
  - इसमें बेहतर शील्डिंग, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और प्रशिक्षण शामिल हैं।
  - ALARA अनावश्यक विकिरण को कम करने हेतु इंजीनियरिंग नियंत्रणों का उपयोग करता है और सुरक्षा संस्कृति को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रयोग:** परमाणु ऊर्जा संयंत्र, चिकित्सीय इमेजिंग (X-ray, CT स्कैन), औद्योगिक रेडियोग्राफी और अनुसंधान प्रयोगशालाएँ।

स्रोत: TH

'राह-वीर' योजना

समाचार में

- दिल्ली सरकार गंभीर रूप से घायल सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता हेतु नागरिकों को प्रेरित करने के लिए केंद्र की *'राह-वीर' योजना* लागू करने जा रही है।

'राह-वीर' योजना

- यह योजना *मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019* के अंतर्गत *गुड समैरिटन नियमों* के अनुरूप है।
- इसका उद्देश्य त्वरित मानवीय कार्रवाई को प्रोत्साहित करने हेतु कानूनी संरक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- **विशेषताएँ:**
  - गंभीर रूप से घायल सड़क दुर्घटना पीड़ितों की "गोल्डन ऑवर" में सहायता करने वाले नागरिकों को ₹25,000 का नकद पुरस्कार मिलेगा।
  - जिला-स्तरीय समिति मामलों का मूल्यांकन करेगी और पुरस्कार सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।
  - इसके अतिरिक्त, प्रतिवर्ष 10 उत्कृष्ट *राह-वीर* को ₹1 लाख और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना कानूनी या प्रक्रियात्मक भय के कारण दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने में नागरिकों की हिचकिचाहट को दूर करने का लक्ष्य रखती है।

स्रोत: HT

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उपलब्धि

समाचार में

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने *पीएम सूर्य घर योजना* के अंतर्गत 30 लाख परिवारों द्वारा रूफटॉप सोलर अपनाने की सराहना की, जो स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
  - गुजरात इस अपनाने में अग्रणी है, इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं, साथ ही अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक भागीदारी है।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY)

- भारत सरकार ने फरवरी 2024 में *पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY)* शुरू की।
- इसका लक्ष्य 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ परिवारों में रूफटॉप सोलर (RTS) स्थापित करना है, जिसके लिए ₹75,021 करोड़ का प्रावधान है।
- यह योजना पात्र परिवारों को राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सोलर पैनल लगाने की अनुमति देती है, जिससे सस्ती स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है।
- योजना के अंतर्गत आसान वित्तीय विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें 12 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों के माध्यम से ₹2 लाख तक के बिना गारंटी वाले ऋण 6.75% सब्सिडी वाले ब्याज दर पर दिए जाते हैं।

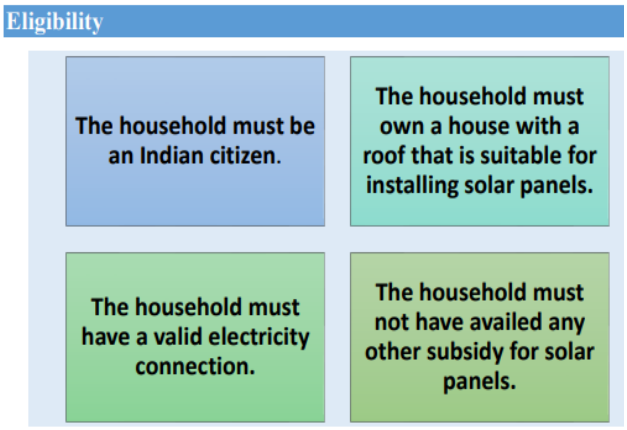

लाभ

- **परिवारों के लिए मुफ्त बिजली:** सब्सिडी वाले रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर परिवारों को मुफ्त बिजली मिलती है, जिससे उनकी ऊर्जा लागत में उल्लेखनीय कमी आती है।
- **सरकार के लिए बिजली लागत में कमी:** व्यापक सौर अपनाने से सरकार की बिजली लागत में बचत होगी।
- **नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ा उपयोग:** यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है, जिससे भारत में अधिक सतत और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा मिश्रण बनता है।
- **कार्बन उत्सर्जन में कमी:** इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा की ओर संक्रमण से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और भारत की कार्बन फुटप्रिंट घटाने की प्रतिबद्धता को समर्थन मिलेगा।

स्रोत: PIB

भारतीय वायुसेना का तेजस बेड़ा रखरखाव जाँच में

संदर्भ

- भारतीय वायुसेना (IAF) का *तेजस लड़ाकू विमान बेड़ा* हाल ही में एक विमान के उड़ान भरते समय हुई घटना के कारण "रखरखाव जाँच" से गुजर रहा है।

तेजस लड़ाकू विमान के बारे में

- *एलसीए तेजस* 4.5 पीढ़ी का, सर्व-कालिक (ऑल वेदर) विमान है।
- इसे बहु-भूमिका निभाने हेतु डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आक्रामक वायु समर्थन, निकट युद्ध और ज़मीनी हमले शामिल हैं।
  - यह *ग्राउंड मैरीटाइम ऑपरेशन्स* भी कर सकता है।
- **एलसीए Mk1A:** यह तेजस का सबसे उन्नत संस्करण है।
  - इसमें AESA रडार, EW सूट (रडार चेतावनी और आत्म-सुरक्षा जैमिंग), डिजिटल मैप जनरेटर (DMG), स्मार्ट मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले (SMFD), CIT, एडवांस्ड रेडियो अल्टीमीटर और अन्य आधुनिक सुविधाएँ हैं।

Specification	Value
Length	13.2 m
Width	8.2 m
Height	4.4 m
Max Takeoff Mass	13,500 Kgs
Engine	GE F404-IN20
Engine Thrust (A/B)	85 KN
G limits	+8g / -3.5g
Max speed	1.6 Mach

स्रोत: IE

BAFTA – ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स

समाचार में

- फरहान अख्तर की *एक्सेल एंटरटेनमेंट* द्वारा निर्मित मणिपुरी फिल्म बूंग(*Boong*) ने लंदन में *BAFTA पुरस्कार* में *सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म* का प्रतिष्ठित सम्मान जीता।

ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स (BAFTA) के बारे में

- यह एक ब्रिटिश संगठन है जो प्रतिवर्ष ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, टेलीविज़न और गेम्स के लिए पुरस्कार प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य फिल्म उद्योग की प्रगति में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार देना है।

- 1976 में इसे आधिकारिक रूप से *ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स* नाम दिया गया।
- यह शैक्षिक और प्रतिभा विकास कार्यक्रम भी चलाता है, जैसे *नेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न स्कूल* के लिए छात्रवृत्तियाँ।

स्रोत: Air

पैंगोलिन

संदर्भ

- *CITES रिपोर्ट* में खुलासा हुआ कि 2016 से 2024 के बीच वैश्विक स्तर पर 5,00,000 से अधिक पैंगोलिन जब्त किए गए।

पैंगोलिन के बारे में

- पैंगोलिन ऐसे स्तनधारी हैं जो केराटिन की शल्कों से ढके होते हैं—पृथ्वी पर ऐसे एकमात्र स्तनधारी।
- ये चींटियों, दीमकों और लार्वा को अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से खाते हैं।
- खतरे की स्थिति में ये *वॉल्वेशन* (गेंद की तरह गोल होकर) अपनी कवच जैसी शल्कों से स्वयं की रक्षा करते हैं।
- इन्हें *पारिस्थितिकी तंत्र अभियंता* माना जाता है क्योंकि ये मृदा को हवादार बनाने और कीट नियंत्रण में योगदान देते हैं।
- वैश्विक स्तर पर पैंगोलिन की आठ मान्यता प्राप्त प्रजातियाँ हैं—चार अफ्रीका में (ब्लैक-बेली, व्हाइट-बेली, जायंट ग्राउंड और टेम्मिंक का ग्राउंड पैंगोलिन) तथा चार एशिया में (भारतीय, फिलीपीन, सुंडा एवं चीनी पैंगोलिन)।

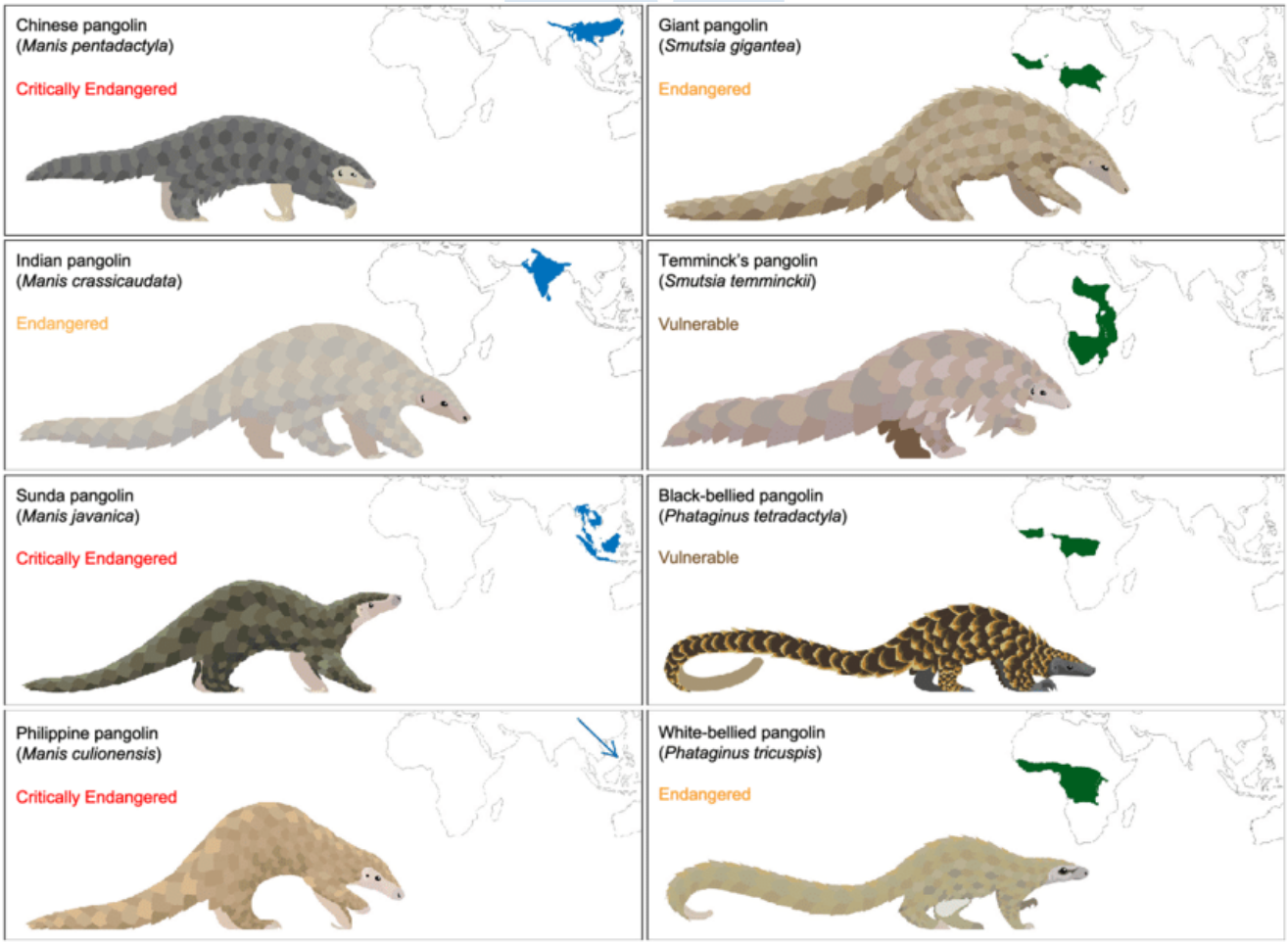

स्रोत: DTE